बनाने की शुरुआत की है और पूरे प्रदेश में छात्र संघों के लिए नया संविधान और चुनाव की नयी आचार संहिता लागू की है। देश के कई विश्वविद्यालयों में इस तरह के संविधान को पहले ही लागू किया जा चुका है।

छात्र संघ के नये संविधान और नयी आचारसंहिता के बारे में 'आह्वान' के जनवरी-मार्च 2000 अंक में (गोरखपुर विश्वविद्यालय के हवाले से) एक विस्तृत लेख दिया जा चुका है। निचोड़ यही है कि छात्रों के जनतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह हड़प लिया जाये। छात्र संघ को ही भंग कर दिया जाये।

निचोड़ के तौर पर, **उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार के नाम पर जो भी कदम उठाये जा रहे हैं वे घोर छात्र विरोधी हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से उनका कुछ भी लेना-देना नहीं है। सरकार इस बात को बखूबी समझ रही है कि निजीकरण-उदारीकरण के दौर में जिन जनविरोधी-छात्र विरोधी नीतियों पर वह अमल कर रही है उससे छात्र-युवा असन्तोष बढ़ता ही जा रहा है, जिसे एक न एक दिन फूटना है। इस असन्तोष को दबाने और शिक्षा व्यवस्था को देशी-विदेशी पूंजीपतियों की नयी जरूरतों के अनुसार ढालने की कोशिश के तहत ही ये सारे कदम उठाये जा रहे हैं। इसी कोशिश के तहत ही विश्वविद्यालय परिसरों को पुलिस-पी.ए.सी. की छावनी में तब्दील कर दिया गया है।**

स्पष्ट है कि शासक वर्ग ने अपनी तैयारियों में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। छात्र-युवा आखिर कब चेतेंगे और मुकाबले के लिये तैयार होंगे।

> जो बोलते हो उसे सुनो भी
>
> अध्यापक,
> अकसर मत कहो कि तुम सही हो
> छात्रों को उसे महसूस कर लेने दो
> खुद-ब-खुद
> सच को थोपो मत :
> यह ठीक नहीं है सच के हक में
> बोलते हो तो उसे सुनो भी।
>
> ○ बेर्टोल्ट ब्रेष्ट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नयी आचारसंहिता लागू

जे.एन.यू. परिसर का जनतंत्र अब प्रशासकों की आंखों में चुभने लगा

ललित सती

देश के अपेक्षाकृत सबसे खुले और जनतांत्रिक माहौल वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) के नये सत्र की शुरुआत उसपर एक नयी दमनकारी आचार-संहिता थोपने के साथ हुई है।

आज जब देशभर में शिक्षा परिसरों में डण्डाराज कायम किया जा रहा है तो जे.एन.यू. का जनतंत्र भला प्रशासकों की आंखों में क्यों न खटकता! हमेशा की तरह इस आचारसंहिता के पीछे भी परिसर को अराजकता से मुक्त करने, "कानून-व्यवस्था" बहाल करने और छात्रों के कल्याण के ही तर्क दिये गये हैं। लेकिन इसके मोटे-मोटे प्रावधानों पर नजर डालने से ही साफ हो जाता है कि कल्याण किसका होना है और इसका असली मकसद क्या है।

इस आचार-संहिता में दुराचरण और अनुशासनहीनता की दो कोटियां निर्धारित की गयी हैं और उनकी सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। पहली कोटि में हिंसात्मक गतिविधियों या यौन शोषण के अतिरिक्त "घेराव करना विश्वविद्यालय परिसर के किसी सदस्य के आवास की घेराबंदी करना या उसके सामने प्रदर्शन करना, या किसी भी प्रकार से दबाव डालना, डराना या कैम्पस के निवासी के एकान्तता के अधिकार को भंग करना" भी शामिल है। इस तरह के दुराचरण और अनुशासनहीनता के दण्ड के रूप में दाखिले को रद्द किया जा सकता है या डिग्रियां वापस ली जा सकती हैं या विशेष अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है या चार सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया जा सकता है।

यानी कि अपनी वाजिब मांगों को लेकर घेराव, घेराबंदी, या प्रदर्शन करना हिंसा और यौन-शोषण के समान ही अपराध होगा। इन गैर जनतांत्रिक कदमों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी कोटि में यह कहा गया है "भूख हड़ताल, धरना, ग्रुप बार्गेनिंग और अकादमिक या प्रशासनिक भवनों के प्रवेश और निकास को बंद करके होने वाले किसी भी विरोध और अकादमिक समुदाय के किसी भी सदस्य की गतिविधियों में कोई भी विघ्न" सहन नहीं किया जायेगा। इस तरह की अनुशासनहीनता और दुराचरण के लिए 20,000 रुपये तक का जुर्माना, दोषी छात्र के लिए किसी भी या सभी अकादमिक प्रक्रियाओं पर रोक और दो सेमेस्टर तक निष्कासित करने जैसी सजाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा छात्रावास के किसी कमरे में बाहरी व्यक्ति के रुकने, सभाएं आदि करने के लिए भी कड़ी सजाएं तय की गई हैं।

प्रत्यक्षतः जे.एन.यू. परिसर को अन्य सभी परिसरों से भी अधिक गैर-जनतांत्रिक और निरंकुश बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उसी जे.एन.यू. परिसर को जो अपने जनतांत्रिक माहौल, खुलेपन, उदारता और प्रगतिशीलता के लिए जाना जाता था। दरअसल इस फासिस्ट कदम के पीछे वही कारण हैं जो देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों में लागू हो रही नयी फासिस्ट आचार संहिताओं के पीछे हैं। नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद से शिक्षा बेतरह महंगी हुई है। छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। इस असंतोष से होने वाले भावी विस्फोट को कुचलने के लिए परिसरों के दमनतंत्र को नये हरबे-हथियारों से लैस करना जरूरी था। लेकिन जे.एन.यू. में यह करना मुश्किल था क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न थी। जे.एन.यू. सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सचेत छात्रों का केन्द्र था। बुर्जुआ समाज में सम्भव अकादमिक स्वतंत्रता, उदारता, खुलेपन की दृष्टि से जे.एन.यू. देशभर में एक मिसाल था। एकाएक यहां जनतंत्र का गला घोंट पाना कठिन था। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जे.एन.यू. की प्रकृति में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसके चलते उनका काम आसान हो गया। पिछले दिनों जे.एन.यू. परिसर में बलात्कार और छात्राओं को डराने की जो घटनाएं हुईं उसके बाद

प्रशासन को मौका मिला। उसने कहा कि बेहद खुलेपन की वजह से यह सब हुआ है और कुछ सख्त कानून बनाये जायेंगे। इस घटना के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन को अपने खतरनाक मंसूबे पूरे करने के लिए एक आड़ मिल गयी।

लेकिन एक और कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है जे.एन.यू. के छात्रों की आबादी के संघटन और साथ ही साथ छात्रों की मानसिकता में आया बदलाव। छात्रों में कैरियरवाद का प्रभाव बेहद तेजी से बढ़ा है। पहले यहां के छात्र शिक्षा क्षेत्र की बड़ी घटनाओं पर ही नहीं बल्कि सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर भी काफी जागरूक होते थे और हर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय घटना पर प्रतिक्रिया करते थे। लेकिन आज छात्रों में अपने आप को सामाजिक-राजनीतिक विसंगतियों से काटकर कैरियर बनाने में जुट जाने का रुझान बेहद मजबूत हुआ है। यह रुझान छात्रों के जुझारूपन को कुंद बना रहा है और आम लोगों के संघर्ष से उन्हें काट रहा है। संसदीय वामपंथी पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों के क्रियाकलापों ने भी जे.एन.यू. परिसर के माहौल को गैर-राजनीतिक और 'पैस्सिव' बनाने में भूमिका निभाई है। इन्हीं कारणों से यहां उन फासीवादी हिन्दुत्व ताकतों का उदय हुआ जिनका पहले परिसर में नामोनिशान भी नहीं था।

इस तरह की और भी वस्तुगत और मनोगत परिस्थितियां तैयार हुई हैं जिससे इस तरह की आचार-संहिता लागू करने का साहस प्रशासन में पैदा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार का बाजारवाद के नये प्रतिमान स्थापित करना परिसर में निरंकुशता और गैर-जनतांत्रिक माहौल कायम करने से सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। शिक्षा का बाजारीकरण लगातार बढ़ी हुई फीस का बोझ छात्रों के मत्थे मढ़ रहा है, गरीब छात्र शिक्षा से दूर किये जा रहे हैं और देश में लुटेरी आर्थिक नीतियां कहर बरपा कर रही हैं। ऐसे में छात्रों में असंतोष और गुस्से का पनपना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय प्रशासक नहीं चाहते कि किसी भी तरह जे.एन.यू. में यूनाम या तेहरान दोहराया जाये।

1 अगस्त को जे.एन.यू. छात्रसंघ के बैनर तले छात्रों ने संगठित होकर आचार-संहिता की प्रतियां जलायीं और कुलपति के खिलाफ नारे लगाये। छात्रों ने कहा कि अगर इन गैर-जनतांत्रिक नियमों को उन पर थोपने की कोशिश हुई तो वे आन्दोलन करेंगे।

लेकिन अगर जे.एन.यू. के छात्रों को इन साजिशों को शिकस्त देनी है तो उन्हें देश भर के छात्रों के संघर्षों से ऐक्यबद्ध होना होगा क्योंकि परिसर में जनतंत्र की हत्या पहली बार नहीं हो रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसी वर्ष छात्र संघ को नाकारा बना देने के लिए एक निरंकुश आचारसंहिता लागू की जा चुकी है। कई और विश्वविद्यालयों में इसकी तैयारी है। वे अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों के संघर्षों से कटकर नहीं रह सकते, उनसे जुड़कर ही राष्ट्रीय स्तर पर इन छात्र-विरोधी नीतियों और साजिशों से लड़ सकते हैं। ●

शासन के खैरख्वाह एक कुलपति की कारस्तानियां

"उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने" के नाम पर मौजूदा सत्र से सरकार उ.प्र. के कई विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में भारी शुल्क वृद्धि (चार गुने-पांच गुने) के जिस प्रस्ताव को लागू करना चाहती थी, फिलहाल उसे वापस ले लिया गया है। विगत दिनों लखनऊ में सम्पन्न प्रदेश के कुलपतियों के सम्मेलन में इस प्रस्तावित शुल्क वृद्धि पर सरकार के प्रतिनिधियों ने चर्चा तक नहीं की। दरअसल, शुल्क वृद्धि की खबर सुनकर प्रदेश भर में छात्र-युवा आन्दोलनों की सुगबुगाहटों से सरकार ने यह नतीजा निकाला कि आसन्न विधान सभा चुनावों के मद्देनजर शासक पार्टी (मुख्यतः भाजपा) की चुनावी सेहत के लिए यह अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए, फिलहाल सरकार ने मौजूदा सत्र में शुल्क वृद्धि न लागू करने का फैसला किया। लेकिन, शासन के एक खैरख्वाह कुलपति सरकार की चुनावी मजबूरी से बेपरवाह होकर शासन के प्रस्तावों को अपने स्तर पर सीमित पैमाने पर लागू करने पर तुले हुए है। जी हां, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जनाब राधे मोहन मिश्र हैं।

कुलपति सम्मेलन से वापस लौटने के तत्काल बाद उन्होंने विश्वविद्यालय कार्य परिषद की एक आपात बैठक बुलायी और शासन की घोषित मंशा के विपरीत सभी कक्षाओं के वार्षिक शुल्क में दो सौ रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित करा लिया। हालांकि इस मसले पर कार्यपरिषद के भीतर मतैक्य नहीं था। कार्य परिषद के एक सदस्य भोलेन्द्र सिंह ने तो प्रेस बयान भी जारी किया कि वे शुल्क वृद्धि को उचित नहीं मानते। कुलपति ने कार्यपरिषद को शासन की मंशा के बारे में गलत सूचना देकर शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव पास करा लिया। उन्होंने कार्य परिषद की बैठक फिर से बुलाने की बात कही।

यह तो कुलपति महोदय की राजभक्ति और छात्र विरोधी रवैये की एक बानगी है। पदभार ग्रहण करने से लेकर आज तक उन्होंने घोर छात्र-विरोधी-कर्मचारी विरोधी फरमानों की झड़ी लगा दी है। विश्वविद्यालय निरंकुशशाही की प्रयोगशाला बन गया है। छात्रों-कर्मचारियों के जनतांत्रिक आन्दोलनों पर लाठी चलवाना उनकी कार्यशैली का अभिन्न अंग है। अभी पिछले दिनों कोर्स पूरा न होने के कारण परीक्षा टलवाने के लिए वार्ता करने गये छात्र प्रतिनिधियों को उन्होंने माफिया तक कह डाला। यह भी कहा कि वे विश्वविद्यालय में जनतांत्रिक विरोध और आन्दोलनों की संस्कृति को ही खत्म कर देना चाहते हैं। मौजूदा सत्र शुरू होते ही परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार को दंगा नियंत्रक वाहन 'वज्र' सहित खाकी वर्दीधारियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और कैम्पस में आतंक राज कायम करने की नयी-नयी कवायदें भी शुरू हो चुकी हैं।

मौजूदा सत्र में विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों को मिलाकर सोलह हजार से भी अधिक सीटों की कटौती कर दी गयी है और सान्ध्यकालीन कक्षाओं को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीटों में कटौती के सवाल पर महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने कुलपति के आदेश का पालन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन कुलपति महोदय अभी अपनी मर्जी पर डटे हुए हैं।

मौजूदा सत्र शुरू होते ही कुलपति ने यह फरमान जारी किया कि परिसर की दीवारों पर किसी तरह के पोस्टर न लगाये जायें। जो कोई भी छात्र, संगठन, या संस्था पोस्टर चिपकायेगा उसे संज्ञेय अपराधी ठहराते हुए उचित सजा दी जायेगी। साथ ही, जिस कर्मचारी की ड्यूटी अवधि में पोस्टर चिपका पाया जायेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।

ऐसे ही घोर निरंकुश फरमानों की झड़ी लगाकर कुलपति महोदय शासन की नजरों में चढ़े रहना चाहते हैं। छात्र-कर्मचारी-शिक्षक सभी कुलपति महोदय के फरमानों से त्रस्त हैं। गुस्सा किस रूप में फूटेगा, क्या अंजाम होगा, यह तो समय ही बतायेगा, लेकिन अतीत बताता है कि तानाशाहों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ करता।

● आह्वान संवाददाता

जे.एन.यू. ...